प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 25.08.2023

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना सिकन्दरा पुलिस की कार्यवाही से हत्या के सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2023 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 में 01 नफर नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये वादी श्री हरिओम त्रिपाठी पुत्र श्री इन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम थनवापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 12.06.2023 को दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 90/2023 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 बनाम 02 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त के विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रदीप सिंह यादव पुत्र सुरेन्द्र सिहं यादव निवासी मोहल्ला जरौली फेस-2 पटेल विहार थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर को आज दिनांक 25.08.2023 को थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बिरहाना चौराहा थाना सिकन्दरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायलाय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त प्रदीप सिंह यादव ने पूछने पर बताया कि मैंने इण्टर प्रथम वर्ष की शिक्षा मृतक रवि उर्फ नीतेश त्रिपाठी के साथ सरदार पटेल इण्टर कालेज जरौली फेज 2 कानपुर नगर से की थी। वर्ष 2016 में नीतेश की नौकरी एयर फोर्स में लग गयी। मैंने रवि से कहा कि मिलकर डम्फर ले लेते हैं तब रवि ने कहा की ठीक है, डम्फर ले लो। करीब एक साल तक मेरे द्वारा डम्फर लेकर मिट्टी में चलाया गया परन्तु कोई लाभ नहीं निकल रहा था तथा लोन की किस्त भी जमा नहीं हो पा रही थी। तब रवि ने कहा कि जब लाभ नहीं हो रहा है तो डम्फर बेच दो। तब मेरे द्वारा डम्फर को बेच दिया। डम्फर बेचने पर भी रवि को कोई

पैसा नहीं मिला, डम्फर बेचने से जो पैसा मिला वो किस्त में जमा कर दिया गया। इसी बात को लेकर हमलोगों की रोज फोन पर कहासुनी होने लगी थी तथा वो झगड़ा करने पर अमादा हो जाता था। नीतेश ने मुझसे कहा था पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तब उनके पिताजी भी मेरे घर पर आये थे और हम दोनों लोगों को समझाया था। एक दिन नीतेश मेरे घर पर ही था, तभी अनुज मुझसे अपने पैसों का पेमेन्ट लेने के लिये मेरे घर पर आया। जहां पर अनुज और नीतेश की आपस में दोस्ती हो गयी। ये बात मुझे बुरी लगी थी। नीतेश और अनुज पहले एक ही बात बोलते थे फिर मैं धीरे-धीरे अनुज को अपने पक्ष में कर लिया और कहा कि नीतेश तुमसे भी बद्त्तमीजी करता है और मुझसे बद्त्तमीजी किया है ऐसा करते हैं उसको रास्ते से हटा दिया जाये। तभी अनुज ने बताया कि नीतेश के गांव का सूरज शुक्ला जो नीतेश से बुराई मानता है अगर उसको साथ लिया जाये तो नीतेश को आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता है। उसने हमलोगों की बहुत बेज्जती की है। तब हम और अनुज दोंनो सूरज शुक्ला से रनिया में मिले और हमने सूरज और अनुज से कहा कि फौजी जब छुट्टी पर आता है तो उसे मार दो। कोर्ट पुलिस का जो खर्चा लगेगा उसे मैं देख लूंगा। ये कहकर मैं बांदा चला गया था जहां पर मिट्टी का काम चलता है। मेरे कहने पर ही सूरज शुक्ला व अनुज ने नीतेश उर्फ रवि को मारा है। मारते वक्त मैं उनके साथ नहीं था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. प्रदीप सिंह यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी मोहल्ला जरौली फेस-2 पटेल विहार थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 90/2023 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।
2.का0 924 अभयपाल सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।
3.का0 15 विपिन कुमार थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।
4.का0 53 दुर्गेश दुबे थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।